

राजस्थान सरकार

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर  
विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर- 302001 दूरभाष नं. 0141-2373904



E-Mail:- scr-rj@nic.in || OSD.REV.FR.RAJASTHAN.GOV.IN ||

website:- [www.landrevenue.rajasthan.gov.in/settlement](http://www.landrevenue.rajasthan.gov.in/settlement)

क्रमांक-F-2/SCR/FR/2025/604

दिनांक - e-Signed Date

सम्भागीय आयुक्त (समस्त),  
जिला कलेक्टर (समस्त),  
राजस्थान ।

**विषय:-**राज्य में आयोजित हो रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविर कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

**प्रसंग:-**राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक-F-1/FR/2025/349 दिनांक 21/01/2025 एवं कार्यक्रम पुनर्निर्धारण पत्र क्रमांक F-2/SCR/FR/2025/471 दिनांक 08/02/2025 तथा पत्र क्रमांक F-2/FR/2025/505 दिनांक 14/02/2025 के क्रम में।

महोदया/महोदय,

राज्य में दिनांक 05 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रासंगिक पत्रों द्वारा फरवरी माह के शिविर आयोजन हेतु कार्यक्रम निर्धारित करने बाबत निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आप द्वारा कैम्प चार्ट तैयार किया जाकर कैम्प प्लानिंग पोर्टल पर अपलोड/अद्यतन किया जाना है।

राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री एप्लीकेशन से संबंधी अधिकतर तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है।

आगामी कार्यक्रम के रूप में यह निर्देशित किया जाता है कि आगामी **03 मार्च 2025** से प्रत्येक जिले की **प्रति तहसील 4-5 शिविर** आयोजित किए जाएंगे, अर्थात् सोमवार से बुधवार को चार से पांच ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे एवं गुरुवार से शनिवार को दूसरी चार से पांच ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया जावे। इस प्रकार प्रति सप्ताह प्रति तहसील 8 से 10 शिविर आयोजित होंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि 31 मार्च तक प्रत्येक तहसील की सभी ग्राम पंचायतों में शिविर पूर्ण किये जाने हैं। अतः 31 मार्च तक का कार्यक्रम जारी कर कैम्प प्लानिंग पोर्टल (RJFRC.RAJASTHAN.GOV.IN) पर अपलोड किया जावे एवं तदनुसार शिविर आयोजित करवाये जाने सुनिश्चित करावे।

प्रति शिविर आयोजन हेतु निर्धारित राशि रु.15000 प्राप्त हेतु यह आवश्यक होगा कि कैम्प प्लानिंग पोर्टल पर शिविर कार्यक्रम अपलोड किया जावे एवं शिविर आयोजन के उपरान्त संबंधित शिविर के फोटोग्राफ्स एवं न्यूज कटिंग आदि भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावे। इन शिविरों के आयोजन के दौरान यदि अन्य तकनीकी समस्याएं आती हैं तो उन्हें राज्य स्तरीय फार्मर रजिस्ट्री सेल (EMAIL-OSD.REV.FR@RAJASTHAN.GOV.IN) या हेल्पडेस्क (0141-2370242) पर पृथक से अवगत कराया जावे, जिससे समुचित समाधान किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अपने जिले के शिविर कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण कर शिविर आयोजन करावे।

भवदीय



(दिनेश कुमार)  
प्रमुख शासन सचिव  
राजस्व विभाग, जयपुर



क्रमांक- समसंख्यक/605-629

दिनांक - e-Signed Date

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान ।
4. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।
7. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान ।
8. निजी सचिव, चेयरमैन, राजस्व मण्डल अजमेर ।
9. समस्त विभागध्यक्ष, राजस्थान ।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंजायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर ।
14. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।
15. निजी सचिव, आयुक्त भू-प्रबंध विभाग, जयपुर ।
16. निजी सचिव, आयुक्त, DOIT &C राजस्थान जयपुर ।
17. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त समस्त, राजस्थान ।
18. निजी सचिव, निबन्धक राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान ।
19. विशेषाधिकारी, फार्मर रजिस्ट्री, राजस्व विभाग, जयपुर ।
20. सहायक नोडल अधिकारी फार्मर रजिस्ट्री, उप निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर ।
21. भू-प्रबंध अधिकारी समस्त, राजस्थान ।
22. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
23. शैलेश चतुर्वेदी (एसीपी) भू-प्रबंध विभाग जयपुर को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कैम्प आयोजन संबंधी मैसज राज्य के कैम्प प्लानिंग पोर्टल (RJFRC) पर उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े ।
24. श्री तरुण परिहार, ई एण्ड वाय ।
25. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ. अरुण गर्ग)

आयुक्त -भू प्रबन्ध विभाग  
राजस्थान जयपुर